महत्वपूर्ण / फैक्स द्वारा

संख्या–823 / 52–3–2013–14(72) / 95टी0सी0

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 21 मार्च, 2013

विषयः–उ0प्र0 अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली– 2012 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–809 / 52–3–13–14(72) / 95टी0सी0 दिनांक 20 मार्च, 2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–4030 / 52–3–12–14(72) / टी0सी0, दिनांक 14.01.2013 द्वारा **"उ0प्र0 अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली–2012"** जारी की गयी है। राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित इस नियमावली के प्राविधान माह जुलाई, 2012 से आरम्भ शिक्षण सत्र से प्रभावी हैं तथा नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त पात्र छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

2– शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक दिनांक 20 मार्च, 2013 द्वारा दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्र / छात्राओं के डाटाबेस निर्धारित तिथि के अन्दर एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर अपलोड करने के उपरान्त समस्त जनपदों में डाटा अपलोडिंग के आधार पर प्रथमतः राजकीय शिक्षण संस्थानों एवं राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों के पात्र छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध कराये जाने एवं तदोपरान्त निम्नांकित श्रेणियों के छात्र / छात्राओं को दसवीं कक्षा की उच्च मेधा **(High merit)** को आधार बनाकर धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ की पूर्व अनुमति से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थेः–

क– निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में फ्री सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र / छात्रायें।

ख– निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में पेड सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र / छात्रायें।

ग– निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, में पेड सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र / छात्रायें।

घ– निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, किन्तु संस्थान अपने यहां संचालित

G.C mohan

पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना स्वयं निर्धारित किये जाने हेतु अधिकृत है, उ अध्ययनरत छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रथम आवत प्रथम पावत व्यवस्थानुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक में फ्री सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

3– राज्य सरकार के सीमित संसाधनों तथा एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति की अपलोड मांग को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त निर्गत शासनादेशों दिनांक 20 मार्च, 2013 में आंशिक संशोधन करते हुये **केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों तथा केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पात्र छात्र/छात्राओं को शत प्रतिशत तथा नियमावली के प्रस्तर–11 (iv) में अंकित अन्य श्रेणियों ग, घ में उल्लिखित निम्नांकित श्रेणियों के पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा में छात्र/छात्राओं की उच्च मेघा (High merit) को आधार बनाकर किये जाने का निर्णय लिया गया है अर्थात जिन छात्र/छात्राओं अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा में अंको का प्रतिशत अधिक होगा उन्हें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में वरीयता प्रदान की जायेगी:–**

ग– निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में फ्री सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

घ– निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, में पेड सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।

4– उक्त प्रकिया अपनाते हुये प्रथमतः केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों तथा केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत समस्त पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध कराने के उपरान्त **नियमावली के प्रस्तर–11 (iv) में अंकित उक्त अन्य श्रेणियों ग, घ** में उल्लिखित श्रेणियों की अलग–अलग डिमाण्ड जनपदवार बनाकर **दिनांक 22.03.2013 तक** निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी और निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के आदेश/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात उसी प्राथमिकता कम में धनराशि स्वीकृति की जाय। इससे जहॉ एक ओर पूरे प्रदेश में छात्रवृत्ति के वितरण के एकरूपता रहेगी और वहीं दूसरी ओर विसंगितियों के उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं रहेगी। समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इन आदेशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करें। विचलन की स्थिति में वह स्वयं जिम्मेदार होंगे और उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

कृपया प्रकरण में तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
सचिव।

G.O. mohan

संख्या–823(1)/52–3–13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।

2–समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

3–राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इसकी प्रतियाँ समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई–मेल के माध्यम से भेजने का कष्ट करें।

4–समस्त मण्डलीय उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।

5–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
उप सचिव।